संख्या :1174/V-श0वि0/05/ 5 (आ0)/2001

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून ।

शहरी विकास विभाग

देहरादून, दिनांक 11 अप्रैल, 2005

विषयः— स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को समयमान–वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासकीय संकल्प संख्या–प0म0नि0–225/दस–97–5(एम)/97, दिनांक: 09 अक्टूबर, 1997 द्वारा गठित वेतन समिति 1998 की संस्तुतियॉ कतिपय संशोधनोंपरान्त शासकीय संकल्प सं0–वे0आ0–2/1055/दस/स्था0नि0/98, दिनांक–21 जुलाई, 1998 द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी। जिसके कम में शासनादेश संख्या–2767/9–1–98–273–सा0/97 दिनांक 11–8–1998 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों/जल संस्थानों में विभिन्न पदों का दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

2— उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–2767/9–1–98–273(सा0)/97, दिनांक–11.08.1998 के प्रस्तर–4 द्वारा स्थगित की गयी समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को उ0प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग–1 द्वारा शासनादेश सं0–2569/9–1–2004–20(सा0)/2001 दिनांक 25 अगस्त, 2004 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन पुर्नस्थापन के उपरांत उत्तरांचल के स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों के समयमान वेतनमान को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन पुर्नस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

(1) प्रदेश की समस्त नगर निकायों में डिवोल्यूशन की धनराशि में से जितनी धनराशि वेतन/अधिष्ठान व्यय पर खर्च करने के लिये शासन द्वारा प्रदान की गयी है, उसे उसी

तर पर फ्रीज कर दिया जाये, अर्थात स्थानीय निकायों को कोई अतिरिक्त धनराशि इस धार पर न दी जाये कि समयमान–वेतनमान का लाभ दिये जाने के कारण तन/अधिष्ठान व्यय आदि में वृद्वि हो गयी है।

) सम्बन्धित निकाय की सामान्य सभा द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को इस कार समयमान–वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन किया जाये और थ ही यह स्पष्ट संज्ञान लिया जाये कि इस सुविधा की अनुमन्यता के फलस्वरूप आने ले अतिरिक्त व्यय–भार के वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्तीय सहायता देय नहीं होगी और इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय का ही होगा।

) स्थानीय निकाय, समयमान–वेतनमान की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा सके बाद किसी तिथि से अनुमन्य कराये जाने पर एवं अवशेष की धनराशि का एकमुश्त किश्तों में भुगतान कराने पर अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे। म्बन्धित स्थानीय निकाय केन्द्रीयत सेवाओं के कार्मिकों की स्थिति को दृष्टिगत रखेंगे।

) शासन द्वारा निर्धारित की जा रही उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने न पूरा उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों के मेयर, अध्यक्ष, मुख्य नगर अधिकारी, अधिशासी धिकारी जैसी भी स्थिति हो, का रहेगा। इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन किये जाने को त्तीय अनियमितता माना जायेगा और इसके लिये ऊपर उल्लिखित अधिकारी पूर्ण रूप उत्तरादायी माने जायेंगे।

3) अगर कोई स्थानीय निकाय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से उपरोक्त सुविधा प्रदान न रते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसमें किसी अगली तिथि से यह सुविधा दान करना चाहता है तो उस तिथि से दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक के एरियर ी0एफ0 में जमा होंगे, चाहे वह एकमुश्त व किश्तों में हो (जिनका निर्णय स्वयं करेंगे) ौर उसे भी अगले तीन वर्षो तक आहरित नहीं किया जायेगा।

— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–696/वित्त अनु0–3/2005, दिनांकः 05 अप्रैल, 2005 में दी गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

11/4/05

संख्या–1134(1)/V-शा0वि0/05/ 5 (आ0)/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल।
2. मण्डलायुक्त, कुमायू/गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। द्वारा निदेशक, ग्राम्य विकास
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तरांचल। द्वारा निदेशक, ग्राम्य विकास
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल ।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
8. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

11/5/05

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव।